(163)

कोर्ट फी 20रु. भारत बीस रुपये COURT
2रु. भारत दो रुपये COURT FEE Rs.2 INDIA TWO RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-3156-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–पन्ना

कमलेश कुमार पुत्र श्री राजाराम पाठक निवासी–किशनपुर तहसील अजयगढ़ जिला – पन्ना (म.प्र.)

......

आवेदक

विरूद्ध

1– रामबाबू पुत्र श्री रामगोपाल निवासी – लोलासा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)

2– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना (म. प्र.)

......

अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

16/9/16
अधिवक्ता दीक्षित (PSJ)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 3156-एक/2016 जिला- पन्ना

कमलेश कुमार विरूद्ध रामबाबू अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.8.19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अजयगढ जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, जिला पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	